न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

मुकदमा नम्बर 4/2011(2019/00437)

उनवान

संरपच ग्राम पंचायत मेवदाकंला तहसील केकडी जिला अजमेर(राजस्थान)

बनाम

घीसी, इन्द्रा, पि.नन्दा, फोरन्ता पुत्र घीसालाल जाट निवासी मेवदाकंला

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136एल.आर.एक्ट

–:: आदेश ::–

दिनांक 27.10.2021

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सरपंच ग्राम पचांयत मेवदांकला द्वारा अन्तर्गत धारा राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम मेवदाकंला की आराजी खसरा नम्बर 2533 रकबा 0.35 है. किस्म बारानी उत्तम घीसी, इन्द्रा पि. नन्दा ,फोरन्ता पुत्री घीसालाल की खातेदारी में दर्ज है। जबकि मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 2533 रकबा 0.35 है. के पुराने खसरा नम्बर 313/2/1 मिन रकबा 0.35 है. है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज नकल जमाबन्दी स. 2041 में खसरा नम्बर 313/2 रकबा 3 बीघा 5 बीस्वा में से रकबा 10 बीस्वा नन्दा पुत्र जगन्नाथ के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। आवेदक द्वारा जबकि सरकारी खाता , नन्दा पुत्र जगन्नाथ जाट गैर खातेदार नामान्तकरण संख्या 253 से खसरा नम्बर 313/2 रकबा 00–10–00 किस्म बारानी 3 गै.मु. दर्ज किया जाना चाहिये था। प्रकरण श्रवणाधिकार एव क्षैत्रांधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहसीलदार केकडी की रिपोर्ट ली गई ।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि संरपच ग्राम पंचायत मेवदाकंला द्वारा प्रकरण मिथ्या व निराधार दुरभावना पूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। आधार जमाबन्दी में सम्पूर्ण रकबा विपक्षी के तन्हा खातेदारी में दर्ज है। जो विरासत अनुसार घीसी देवी , इन्द्रा देवी व फोरन्ता नावलिग के नाम हो चुका है सर्म्पूण भूमि पर कब्जा काश्त विपक्षीगण का ही है तथा सम्पूर्ण रकवे पर विपक्षी ने 8 साल पहले इन्द्रा व घीसी द्वारा बैंक ऑफ बडोदा से ऋण ले रखा है। तथा सम्पूर्ण भूमि रहन रखी गयी है। धारा 136 एल.आर.एक्ट से प्रार्थी की खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती है न ही बेदखल किया जा सकता है। आधार जमाबन्दी पूरा खाता पारी बेवा नन्दा , घीसालाल ,पोखर पुत्र नन्दा के नाम हो चुकी है। उक्त प्रकरण धारा 136 एल.आर.एक्ट की परिधि में नही आता है। विपक्षीगण महिलाये है जो काबिज कृषक हैं । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

तहसीलदार केकडी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्किग जमाबन्दी में तत्कालीन कार्मिकों द्वारा सहवन से आवंटित रकवा 10 बीस्वा के बजाय पूरा रकबा 3बीघा 5 बिस्वा को उक्त नन्दा के नाम गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है। जो गलत है। उक्त नन्दा पुत्र जगन्नाथ के फोत होने से उक्त खसरा नम्बर 2533 जो पुराने खसरा नम्बर 313/2/1 से बने है कि खातेदारी वर्तमान में विरासत से घीसी, इन्द्रा पि.नन्दा ,फोरन्ता पुत्री घीसालाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि उक्त घीसी वगै. के वास्तविक रूप से खसरा नम्बर 2533 में से रकबा 0.08 है. खातेदारी व शेष रकबा 0.27 है. राजकीय सिवायचक दर्ज किया जाना चाहिये।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया तथा प्रश्नगत आराजी को सिवायचक दर्ज करने की प्रार्थना की। अप्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की।

पत्रावली में मौजूद दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया । संरपच ग्राम पचांयचत मेवदाकंला का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] ने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। ग्राम मेवदाकंला के खसरा नम्बर 2533 रकबा 0.35 [illegible] से [illegible] 0.08 है. घीसी, इन्द्रा पि.नन्दा ,फोरन्ता पुत्री घीसालाल के नाम खातेदारी में रहेगी व शेष रकबा [illegible] राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार केकडी [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें बाकि इन्द्राज यथावत रहेंगे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें। आदेश खुले में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:20:14 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner